कार्यवृत्त
गुरुवार, 04 भाद्रपद, शक संवत्, 1943
(दिनांक : 26 अगस्त, 2021)

खण्ड–60
अंक–4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर से संतुष्ट न होने पर मा0 सदस्य, श्रीमती ममता राकेश तथा विपक्ष के मा0 सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के 'वेल' में आ गये जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

(11 बजकर 58 मिनट पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन 12 बजकर 30 मिनट तक स्थगित किया गया।)

(सदन 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 30 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	श्री विजय सिंह पंवार	उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तराखण्ड में गोल्डन कार्ड बनाने विषयक।
2.	श्री संजीव आर्य	राज्य में भू–कानून में संशोधन लाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री करन माहरा	उत्तराखण्ड रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री राजकुमार ठुकराल	उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों के हित में पुनः नजूल नीति बनाने व उन्हें दिल्ली की तर्ज पर मालिकाना हक देने के सन्दर्भ में।
5.	श्री महेश जीना	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देघाट व देवायल में टैक्नीशियन नहीं होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)**
6.	श्रीमती मीना गंगोला	टी–स्टेट बेरीनाग के अन्तर्गत निवासरत परिवारों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।(पढ़ी हुई मानी गई)
7.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत वन विभाग की सीमा से सटा हुआ जनपद देहरादून में बरसाती पानी से कृषि योग्य भूमि व आबादी क्षेत्र में नुकसान के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई)

संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (प्रतिवेदन संख्या–2 वर्ष 2021) सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2019–20 के वित्त एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखा।

सभापति, प्राक्कलन समिति ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय के उपरान्त मैं इस माननीय सदन को अवगत कराते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि इस सभा द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2021 को सतत् विकास लक्ष्यों पर चर्चा की जायेगी। सम्पूर्ण विश्व के देशों जिसमें भारत भी सम्मिलित है द्वारा इस लक्ष्यों को अपना कर इनकी प्राप्ति की दिशा में चलते हुए आम जन के जीवन को और बेहतर करने का प्रयास किया जा

रहा है। विधान सभा सचिवालय द्वारा आप सभी को आज इस सम्बन्ध में सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप अपने व्यस्ततम कार्यों में से समय निकाल कर चर्चा हेतु तैयारी कर प्रभावी रूप से प्रतिभाग करने का कष्ट करें ताकि प्रदेश को विकास के नये आयामों की ओर ले जाने में यह सदन अपने दायित्वों को पूर्णरूपेण निवर्हन कर सके।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम हरचन्दपुर माजरा में आन्तरिक सड़कों के सम्बन्ध में'' श्री प्रदीप पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम हरचन्दपुर माजरा, पो0 ईकबालपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मोहितपुर पोस्ट भगवानपुर में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बध में'' श्री अरविन्द पुत्र श्री महेन्द्र सिह, ग्राम मोहितपुर पोस्ट भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम चुडियाला में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' श्री सुखलाल बाग्ले पुत्र श्री दयाराम, ग्राम चुडियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मोलना में गौरव सिंह के घर से कश्मीरा बाल्मिकी के घर तक सी0सी0 सड़क के सम्बन्ध में'' श्री नरेन्द्र पुत्र श्री बिरमपाल ग्राम मोलना, पो0 ईकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम हबीबपुर में हबीबपुर नवादा से पलूनी तक पी0सी0 सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में'' श्री बाबूराम पुत्र श्री बलवन्त ग्राम हबीबपुर नवादा, पो0 हल्लू माजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री करन माहरा, श्री राजकुमार, श्रीमती ममता राकेश एवं श्री आदेश सिंह चौहान, श्री प्रीतम सिंह की 03 सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर की पट्टी सकलाना में सौंग व बान्दल नदी से प्रतिवर्ष भू–कटाव होने के समुचित सुरक्षात्मक कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। सिंचाई मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

आशा कार्यकर्त्रियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री करन माहरा, श्री राजकुमार, श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये। स्वास्थ्य मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

मा0 मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कोविड–19 के दृष्टिगत शहरी विकास के अन्तर्गत पर्यावरण मित्रों को रूपये दो हजार की प्रोत्साहन राशि पांच माह तक प्रदान की जायेगी। पेयजल विभाग के अन्तर्गत राज्य के समस्त जल/सीवर उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की राशि शतप्रतिशत माफ की जायेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकर्त्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। कोविड की विषम परिस्थितियों उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है वह प्रशंसनीय है। हम आशा बहनों को पांच माह तक दो–दो हजार प्रति माह दे रहे हैं साथ ही एक–एक टेबलेट भी दिया जायेगा। ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को तीन माह हेतु छूट प्रदान की जायेगी। विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान अधिभार पर तीन माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। परिवहन

विभाग के अन्तर्गत सेवायान कर में छः माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकरण प्रमाण–पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि के नवीनीकरण पर विल्म्ब शुल्क पर छः माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी।

राज्य आन्दोलनकारियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 46 मिनट पर भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना की ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष, तथा मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश, श्री करन माहरा, श्री आदेश सिंह चौहान एवं श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये।

(03 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मा0 संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उचक्त सूचना को अग्राहय किया। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विपक्ष ने सदन का बर्हिगमन किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

उच्च शिक्षा मंत्री ने दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0एम0एस0) विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0एम0एस0) विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 53 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से मा0 सदस्य श्री आदेश चौहान की सूचना जो कि जनपद हरिद्वार में पिछले कुछ समय से स्मैक बिक्री व अवैध शराब बिक्री के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र काफलीगैर क्षेत्र में विद्युत लाइन में फाल्ट आने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने के संबंध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

प्रदेश के विद्युत वितरण खण्डों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की समस्याओं का निस्तारण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को दी गई सूचना पर, ऊर्जा मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के क्षेत्रान्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजना बाछम का निर्माण कार्य अत्यधिक विलम्ब होने के पश्चात भी अपूर्ण रहने के सम्बन्ध में, श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को दी गई सूचना पर, ऊर्जा मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 04 बजकर 39 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुकेश सिंघल,
सचिव (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेम चन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।